न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश (समक्ष:—डी०सी० थपलियाल)

<u>प्र0क0 201 / 2016 अ0फौ0</u> संस्थिति दिनांक 08–08–2016

बंटी उर्फ सतेन्द्र पुत्र तहसीलदार सिंह तोमर, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम सुहांस थाना एण्डोरी, तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

----अपीलार्थी / आरोपी

बनाम

अपीलार्थी द्वारा श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक न्यायालय श्री ए०के० गुप्ता, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 228/2012 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 25-07-2016 से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 201/2016

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 16—12—2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(3) जा.फौ. का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें कि अपीलार्थी ने न्यायिक दंण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी— श्री अमित कुमार गुप्ता के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 228 / 2012 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र एण्डोरी वि० बंटी उर्फ सतेन्द्र में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 25—07—2016 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी / आरोपी को धारा 354, 324 भाठदंठवि० के तहत दोषी पाते हुए क्रमशः 01 वर्ष, 06 माह के सश्रम कारावास एवं 500—500 / — रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में क्रमशः 1—1 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि फरियादी मानसिंह के द्वारा दिनांक 25.04.2012 को प्रस्तुत लेखीय रिपोर्ट के आधार पर

कि वह दिनांक 24.04.2012 को अपने भाई की बच्ची का फलदान देने ग्राम सुहांस अंकित सिकरवार पुत्र रघुनाथ सिकरवार का फलदान चढ़ाने गया था तभी रात में करीब 10:30 बजे उसकी लड़की पीड़िता नहीं दिखी तो उसने व उसके भाई रनिसंह, रामकरनिसंह व सुरेश ने बच्ची को आसपास देखा तो पास में खड़े ट्रैक्टर के बगल से बच्ची के रोने की आवाज आई वहाँ देखा तो बंटी बच्ची को पकड़े हुए था और उसका गाल काट रहा था जो उन लोगों को देखकर वहाँ से भाग गया। लड़की ने उन्हें कि बंटी उसे पापा बुलाने की कहकर अपने साथ ले आया था और उसके काट काटकर चोट पहुँचाई है। उक्त रिपोर्ट फिरयादी के द्वारा दिनांक 25. 04.12 को थाने पर की गई। जिस पर से थाना एण्डोरी में अप0क0 37/12 धारा 354, 323 भा. द.वि का पंजीबद्ध किया गया। आहता का मेडीकल परीक्षण कराया गया जिस पर से धारा 324 भा.द.वि का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 354, 324 भा0दं०वि० के संबंध में अरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 25—07—2016 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपी को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दंण्डित किया गया।

05. अपीलार्थी / आरोपी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25—07—2016 विधि विधान के विपरीत है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्विक प्रकार के विरोधाभास एवं विसंगतियाँ आई है जिन पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न करते हुए आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। चिकित्सक के द्वारा दिए गए अभिमतों व साक्ष्य पर भी उचित रूप से विचार नहीं कया गया है। प्रकरण में फरियादी द्वारा दिए गए लेखीय रिपोर्ट की बिना जॉच किए प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई है एवं बिलम्व से की गई रिपोर्ट के संबंध में भी किसी भी साक्षी के द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। फरियादी पक्ष एवं आरोपी की पूर्व से रंजिश है जिसे कि बचाव पक्ष के साक्षी के द्वारा स्पष्ट किया है, इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध उहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित

3

दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

- 06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।
- 07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 25–07–2016 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

::- निष्कर्ष के आधार-::

- 08. डॉक्टर धीरज गुप्ता अ०सा० 5 जिन्होंने कि पीडिता का चिकित्सीय परीक्षण कया है, उसके परीक्षण में निम्न चोटें पाई जानी बताई है— (1) ऑखों में खून का धब्बा जो कि दोों ऑखों में था। वाई ऑख में उसका आकार 1 गुणा .5 से.मी. एवं दाई ऑख में 1 गुणा 1 से.मी. के आकार में था। (2) कंटूजन दाई तरफ टेम्पोरल मेण्डीब्रल ज्वाइंट एरिया पर था जिसका आकार 3 गुणा 1 से.मी. था। (3) दांतों का निशान जो कि वाई तरफ गाल पर था जिसमें दबा हुआ एरिया नाक के एला से 4 से.मी. तक फेला हुआ था। चोट क्रमांक 1 व 2 कठोर व भौतरी वस्तु से आना तथा चोट क्रमांक 3 दांतों के काटने से आना प्रतीत होती थी जो कि सभी चोटें परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी। मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 4 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर बताया है।
- 09. इस प्रकार डॉक्टर धीरज गुप्ता अ०सा० 5 के कथनों से स्पष्ट हे कि आहता जिसका कि उनके द्वारा परीक्षण किया गया था उसे चोटें उपरोक्त बताई हुई चोटें मौजूद थी जो कि उसके गाल पर दॉत से काटने की चोट भी मौजूद थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि— क्या आरोपी के द्वारा पीडिता की लज्जा शीलता भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक वल प्रयोग किया गया? क्या इस दौरान आहता को दॉत को धारदार वस्तु के रूप में प्रयुक्त कर उसे उपहित कारित की?
- 10. घटना के संबंध में फरियादी / रिपोर्टकर्ता मानसिंह अ०सा० 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 24.04.2012 को रात के साढे दस बजे की घटना है। वह अपने भाई की बच्ची के फलदान कार्यक्रम में ग्राम सुहांस रघुनाथिसंह के यहाँ आए थे जो कि खाना पीने का प्रोग्राम होने के बाद फलदान का प्रोग्राम चल रहा था, इसी दौरान उसकी बच्ची

पीडिता नहीं दिखी थी। करीब बीस मीटर की दूरी पर एक ट्रैक्टर खडा था, जहाँ से रोने चिल्लाने की आवाज आई तो वह, उसका भाई रनिसंह, रामकरन और सुरेश दौडकर गए तो वहाँ देखा कि आरोपी बंटी उसकी लड़की को पकड़े था और उसके गाल काट रहा था। जैसे ही वह लोग पास पहुँचे वह छोडकर भाग गया। उसने अपनी लडकी से पूछा तो लडकी ने बताया कि उसे यह कहकर बुलाया था कि उसके पापा बुला रहे है। उसने लडकी के दोनों गाल काटे थे। साक्षी यह भी बताया है कि रात को अपने घर ग्राम कौंथर पोरसा जिला मुरैना चले गए थे और दूसरे दिन सुबह एण्डोरी थाने में आए थे जहाँ लेखीय आवोदनपत्र प्र.पी. 1 दिया था जिसके आधार पर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 लेखबद्ध की थी, जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्र. पी. 3 बनाया जाना भी स्वीकार किया है।

- े उपरोक्त संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी रनसिंह अ०सा० 3 तथा रामकरन अ०सा० 4 का परीक्षण भी अभियोजन के द्वारा कराया गया है, जिन्होंने भी फरियादी मानसिंह अ0सा0 1 के कथन का समर्थन करते हुए टैक्टर के पास जाना और वहाँ पर आरोपी सतेन्द्र उर्फ बंटी के द्वारा पीडिता को दॉत से कार्टते हुए देखना बताया है।
- घटना की पीडिता जो कि इस संबंध में सर्वोत्तम साक्षी है, को अभियोजन के द्व 12. ारा अ०सा० २ के रूप में परीक्षित कराया गया है। पीडिता के द्वारा आरोपी की न्यायालय में पहचान की गई है और यह बताया है कि आरोपी के द्वारा ही घटना की गई है। पीडिता के द्व ारा घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना करीब तीन साल पहले रात के साढे दस बजे की है। वह अपने दाऊ की लडकी के फलदान के कार्यक्रम में आई थी और इस दौरान वह खाना खा रही थी तभी आरोपी बटी ने उसे बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारे पापा बुला रहे है तो वह उसके साथ चली गई। घटनास्थल के पास एक ट्रैक्टर खडा था आरोपी उसे वहाँ ले गया और उसके दोनों गाल काट लिए, वह रोने लगी तो उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पापा मानसिंह, दाऊ रनसिंह, करनसिंह आ गए तो आरोपी उसे छोडकर भाग गया था। दूसरे दिन सुबह अपने पिता के साथ रिपोर्ट करने आई थी। उसे गोहद अस्पताल ले जाया गया था जहाँ उसका इलाज हुआ था
- अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है। इस संबंध में सर्वप्रथम घटना की पीडिता अ०सा० 2 के प्रतिपरीक्षण में यह आया है कि जहाँ वह खाना खा रही थी वहाँ से ट्रैक्टर करीब बीस कदम की दूरी पर खडा था और जहाँ ट्रैक्टर खडा था वहाँ थोडा उजाला था। ट्रैक्टर टेंट की आड में था और खाना खाने वाले स्थान से दिख नहीं रहा था। पीडिता के द्वारा स्वभाविक रूप से कथन करते हुए बताया है कि जो लड़का उसे बुलाने के लिए आया था उसका नाम बंटी है, जिसका नाम

उसे रघुनाथ सिंह सिकरवार से बाद में पता चला था। यदि घटना के समय पीडिता को आरोपी का नाम मालूम नहीं था तो इससे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी की न्यायालय में पहचान की गई है और आरोपी के द्वारा ही उसके साथ घटना कारित करने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया है। उक्त साक्षिया के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि उसकी विश्वसनियता प्रभावित होती हो। पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी को रंजिश घटना में झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में दिए गए सुझाव को इन्कार किया है।

- 14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी घटना के फरियादी मानसिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी के द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि टैक्टर के पास रोशनी थी और वहाँ पर दिखाई दे रहा था। उसने आरोपी को पांच फिट दूरी से भागते हुए देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसका आरोपी बंटी के मामा से विवाद चल रहा है इस कारण उसके खिलाफ झूटा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी तात्विक प्रकार का विरोधाभास, बिसंगति होनी दर्शित नहीं होती है जिससे कि उसकी विश्वसनीयता प्रभावित होती हो।
- 15. उक्त साक्षी जिसके द्वारा कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। घटना जो कि दिनांक 24.04.2012 की रात के करीब 10:30 बजे की है और घटना की रिपोर्ट दिनांक 25.04.2012 को 17:30 बजे दर्ज कराई गई है जो कि रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई जाने के संबंध में रिपोर्ट में बिलम्व का कारण रात हो जाना बताया गया है। घटना रात के साढे दस बजे की होना बताई गई है और घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन थाना एण्डोरी में की गई है। पक्षकारों के मध्य कोई रंजिश होना जिससे कि आरोपी को झूठा लिप्त किया जा रहा हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में यदि रिपोर्ट दर्ज कराने में थोडा बिलम्व हुआ है तो इससे कोई विपरीत निष्कर्ष सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता के संबंध में नहीं निकाला जा सकता है।
- 16. अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षी रनिसंह अ०सा० 3 और रामकरन अ०सा० 4 के कथनों से भी होती है जिन्होंने कि घटनास्थल पर आरोपी को देखा था और पीडिता को भी घटनास्थल पर देखा गया था, जिसके कि गाल कटे हुए थे। उक्त साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण दर्शित नहीं होता है। यद्यपि उक्त साक्षी रनिसंह फिरयादी मानिसंह का सगा भाई है तथा साक्षी रामकरनिसंह भी फिरयादी के परिवार का है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण फिरयादी एवं पीडिता के निकट संबंधी है इस आधार पर उनके साक्ष्य कथन को अमान्य किये

17. अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी होती है जो कि डॉक्टर धीरज गुप्ता अ०सा० 5 के द्वारा अभियोक्त्री के गाल पर दॉत से कटी हुई चोट होना स्पष्ट रूप से बताया गया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में भी कोई विपरीत तथ्य नहीं आया है।

6

- 18. बचाव पक्ष के द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि आरोपी के मौसा जो कि फरियादी मानसिंह के गांव का है और उसके पास ही उसके मकान है से रंजिश चल रही है तथा अभियुक्त के द्वारा अपने मौसा नरेश की सहायता की थी और मानसिंह की मारपीट भी कर दी थी, इसी झगड़े के कारण अभियुक्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर उसे फसाया गया है। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष के द्वारा बचाव साक्षी तहसीलदारसिंह तोमर ब0सा0 1 जो कि आरोपी का पिता है के कथन कराए गए है, जिसके द्वारा बचाव पक्ष के द्वारा लिए गए उपरोक्त आधार के संबंध में कथन किए गए है और यह बताया गया है कि घटना दिनांक को उसका लड़का गांव में नहीं था उसे झूठा फंसाया गया है। उसके लड़के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट के संबंध में उसने थाने में शिकायत की भी, किन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि थाने में शिकायत करने के संबंध में कोई भी शिकायत की प्रति न्यायालय में पेश नहीं की गई है। घटना दिनांक को आरोपी के घटनास्थल पर मौजूद न होकर ग्वालियर मौजूद होने के संबंध में जो आधार लिया जा रहा है वह भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया आधार प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।
- 19. वर्तमान घटना जो कि आरोपी के द्वारा पीडिता जो कि बच्ची है को अपने पास अकेले में बुलाया गया और अकेले में बुलाकर के आरोपी उसके गाल काट रहा था। निश्चित तौर से सून सान जगह पर किसी बच्ची को रात के साढे दस बजे लेजाकर उसके साथ जो कृत्य आरोपी के द्वारा किया जा रहा था उससे यही आशय निकलता है कि आरोपी का आशय पीडिता जो कि स्त्री है की लज्जा भंग करने का था और इस दौरान आरोपी के द्वारा दॉत जो कि धारदार वस्तु के रूप में प्रयुक्त कर उसे उपहित भी कारित की गई है।
- 20. उक्त परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा पीडिता जो कि नावालिंग स्त्री है के की लज्जा भंग कारित की गई और इस दौरान आरोपी के द्वारा दॉत जो कि धारदार वस्तु के रूप में प्रयुक्त कर उसे उपहित भी कारित की गई है।
- 21. इस प्रकार विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आई हुई समग्र साक्ष्य के आधार पर आरोपी बंटी उर्फ सतेन्द्र को धारा 354, 324 भा०दं०वि० के अपराध हेतु दोषसिद्ध ठहराए जाने में कोई भी वैधानिक या तथ्यात्मक त्रुटि की जानी दर्शित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अभिलेख पर आई हुई समग्र साक्ष्य का परिशीलन कर और उसका मूल्यांकन

करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध ठहराए गया है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध आदेश दिनांक 25.07.2016 में हस्तक्षेप करने का कोई कारण न होने से स्थिर रखा जाता है।

- आरोपी को दिए गए दण्डादेश का जहाँ तक प्रश्न है। विचारण न्यायालय के द्व 22. ारा धारा 354 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोपी को 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 / — रूपए के अर्थदण्ड से एवं धारा 324 भा0दं0वि0 के अंतर्गत आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 / - रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया गया है।
- अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि आरोपी को दिया गया दण्डादेश अत्यधिक कठोर है। विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपी को परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाने के संबंध में उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसी दशा में दण्डाज्ञा के संबंध में उदारता बरते जाने का निवेदन किया है।
- उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। आरोपी जिसे कि धारा 354, 323 भा0दं0वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध टहराया गया है। विचारण न्यायालय के द्वारा परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए अपराध की प्रकृति एवं तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए उसे आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। निश्चित तौर से अपराध की प्रकृति को देखते हुए अपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ आरोपी को प्रदान किया जाना उचित नहीं है।
- जहाँ तक आरोपी को दिए गए दण्ड का प्रश्न है। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों 25. जो कि एक नावालिंग लंडकी के साथ उक्त कृत्य किया गया है जिसमें कि उसकी लज्जा शीलता भंग करते हुए उसे उपहति पहुँचाई गई है। प्रकरण के समस्त तथ्यों परिस्थितियों और प्रकृति को देखते हुए उसे दिया गया दण्डादेश कदापि उसके विरुद्ध प्रमाणित अपराध के अनुपात में अधिक होना नहीं कहा जा सकता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को दिए गए दण्डादेश की भी पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है।
- आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व (डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला मेरे बोलने पर टंकित किया गया हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड